रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2013/वैशाख 25, 1935
No. 234] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2013/VAISAKHA 25, 1935

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

सा.का.नि. 310(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (ग) से (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के उप-नियम 1 के खण्ड (ड.) में "सम्पत्ति में किसी प्रतिभूति हित" शब्दों के पश्चात् "तथा अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा 1 के अधीन केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख से पहले प्रचलित संव्यवहार सम्मिलित हैं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

3. (i) मूल नियम के नियम 5 के उप-नियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां ऐसे संव्यवहार की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएंगी:

परंतु यह कि सभी प्रचलित संव्यवहार की विशिष्टियां प्रतिभूत लेनदार द्वारा 30 जून को या उससे पहले केंद्रीय रजिस्ट्री के पास फाइल की जाएगी और उक्त तारीख तक ऐसे फाइल करने पर कोई फीस संदेय नहीं होगी:

परंतु यह और भी कि उक्त तारीख के पश्चात् केंद्रीय रजिस्ट्री के पास फाइल की गई सभी प्रचलित कारबार नियम 7 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्रभार्य होगी।";

(ii) मूल नियम के नियम 7 की सारणी में –

(क) किसी विद्यमान प्रतिभूति हित की तुष्टि से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ (4) के अधीन "250 रु." अंकों के स्थान पर, कुछ नहीं शब्द रखे जाएंगे;

(ख) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[फ .सं .1/1/2013 वसूली]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:– मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में सा. का. नि. 276 (अ) तारीख 31 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2013

G.S.R. 310(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) to (g) of sub-section (2) of Section 38 read with Section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (e), after the words "any security interest over property" occurring at the end, the words "and includes the transactions which subsisted before the date of setting up of the Central Registry under sub-section (1) of Section 20 of the Act" shall be inserted.

3. (i) in rule (5) of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The particulars of every transaction referred to in sub-rule (1) of rule 3 shall be filed with the Central Registrar within a period of thirty days from the date of such transaction:

Provided that particulars of all subsisting transactions shall be filed by the secured creditors with the Central Registry on or before the 30th June and no fee shall be payable on such filing till the said date:

Provided further that all subsisting transactions filed with the Central Registry after the said date shall be chargeable with such fee as specified in the Table under rule 7.";

(ii) in rule (7) of the principal rules, in the Table –

(a) against Sl. No. 2, relating to Satisfaction of any existing Security Interest, under column (4), for the figures "Rs. 250", the word "Nil" shall be substituted;

(b) against Sl. No. 4, relating to Particulars of satisfaction of securitisation or reconstruction transactions, under column (4), for the figures "50", the figures "250" shall be substituted.

[F. No. 1/1/2013-Recovery]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Footnote:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3 sub-section (i), vide G.S.R. 276(E), dated the 31st March, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

सा.का.नि. 311(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 19 की उप-धारा (3क) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरणों (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिकरण कहा गया है) में न्यायालय फीस प्रतिदाय विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (न्यायालय फीस का प्रतिदाय) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना–ये नियम अधिकरण में फाइल किए गए सभी मामलो में जिनका निपटान उस अधिकरण के समक्ष सुनवाई प्रारंभ किए जाने से पूर्व या पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश की कार्यवाहियों से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर लागू होंगे।

परंतु जब वसूली अधिकारी के पास वसूली कार्यवाहियाँ लंबित हो तब वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'अधिनियम' से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 अभिप्रेत है;

(ख) 'पीठासीन अधिकारी' से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) 'अधिकरण' से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों का जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

4. रकम का प्रतिदाय–अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, जिसके समक्ष बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकायों के निपटान के लिए मामला फाइल किया जाता है, मामले को फाइल करते समय जमा की गई फीस निम्नलिखित दरों पर प्रतिदाय करने का आदेश कर सकता है:-

(क) अधिकरण के समक्ष सुनवाई आरंभ होने से पूर्व निपटाए गए मामलों में 50 प्रतिशत फीस का प्रतिदाय;

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश किए जाने से पूर्व, कार्यवाही के किसी स्तर पर निपटाए गए मामलों में किए गए प्रतिदाय शुल्क का 25 प्रतिशत।

5. प्रतिदाय की प्रक्रिया–(1) आवेदक (आवेदकों) और प्रतिवादी (प्रतिवादियों) अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष न्यायालय फीस के प्रतिदाय के लिए निपटारे के ब्यौरे दर्शाते हुए संयुक्त आवेदन फाइल करेंगे.

(2) ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार मामले में जमा किए गए न्यायालय फीस और प्रतिदाय किए जाने वाले रकम को प्रमाणित करेगा और आवेदन को पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी प्रतिदाय के रकम को दर्शाते हुए न्यायालय फीस के प्रतिदाय के लिए आदेश पारित करेगा।

(4) तदनुसार रजिस्ट्रार वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा बिल को वेतन और लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करने तथा आवेदक को शोध्य रकम के प्रतिदाय के संबंध में आगे कार्रवाई करेगा।

[फा.सं. 3/2/2013-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2013

G.S.R. 311 (E) .—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of Section 36 read with sub-section (3A) of section 19 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the refund of court fee in the Debts Recovery Tribunals (hereinafter called the Tribunal) namely:-

1 **Short title and commencement** .– (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunals (Refund of Court Fee) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Applicability** .- These rules shall be applicable in all cases filed before the Tribunal which are settled prior to the commencement of the hearing before that Tribunal or at any stage of the proceedings before the final order is passed by the Presiding Officer.

Provided that no refund shall be allowed when the recovery proceedings are pending with the Recovery Officer.

3 **Definitions** .– In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993;

(b) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal appointed under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(c) "Tribunal" means the Debts Recovery Tribunal established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4 **Amount of refund** .– The Presiding Officer of the Tribunal before which any case is filed for settlement of the dues of the Banks and Financial Institutions may order refund of fee remitted at the time of filing the case at the following rates:

(a) 50 percent of the fee remitted in the cases which are settled prior to the commencement of the hearing before the Tribunal;

(b) 25 percent of the fee remitted in the cases which are settled at any stage of the proceedings before the final order by the Presiding Officer is passed.

5 **Procedure for refund** . – (1)The applicant(s) and the defendant(s) shall file a joint application before the Registrar of the Tribunal for refund of court fee indicating the details of the settlement.

(2) On receipt of such application, the Registrar shall certify the amount of court fee remitted in the case and the amount to be refunded and place the application before the Presiding Officer.

(3) The Presiding Officer shall pass orders for refund of the court fee indicating the amount of refund in the order;

(4) The Registrar shall accordingly take further action for issue of financial sanction and presentation of bill in Pay and Accounts Office and refund of the due amount to the applicant.

[F.No.3/2/2013-DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

2001GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.